



PHARMACY COUNCIL OF INDIA

A Statutory body under Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

E-MAIL : REGISTRATION@PCI.INDIA
WEBSITE : www.pci-india.in
Telephone : 011-61299900
011 - 61299901, 011 - 61299902
011-61299903

ABCC Centre, 3rd Floor
Plot No.2, Community Centre
Max Anandamarg
Okhla Phase I
NEW DELHI - 110020.

DECISION LETTER

Institute Name / Inst ID : Smt. Omwati Devi College Of Pharmacy / PCI-4203
State : UTTAR PRADESH
District : MATHURA
Sub-District : Math
Village/Town/City : Koyal
Pin Code : 281204



Sir / Madam,

With reference to the subject cited above I am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

Course	Name of Affiliation body/University	Decision	Approval Status	Approval Upto	Approval Intake
D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	D.Pharm Extend approval upto 2023-2024 academic session for 60 admissions for D.Pharm course. The last approval for 2022-23 academic session is restored and vide notification dt. 22.10.2022 read with 3.11.2022 instructed the institutions to submit affidavit. In view of above, it was decided to verify the said affidavit during the inspection process of 2023-2024 academic session	Approved	2023-2024	60

Date : 12th May 2023

(Signature of Registrar)

For
(IC) Registrar-cum-Secretary
PCI

Copy to

- Registrar of the University
- Principal of the college
- Secretary/Chairman of the Trust/Society
- Guard File (PCI)


Principal
Smt. Omwati Devi College of Pharmacy
Koyal, Mathura

Note: Validity of the course details may be verified at www.pci-india.in

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1245-SMT.OMWATI DEVI COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	60	60
3	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
4	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60
5	P.G. DIPLOMA IN WEB DESIGNING	60	60
6	P.G. DIPLOMA IN ACCOUNTANCY (WITH COMPUTERISED ACCOUNTS & TAXATION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जाँच के विरुद्ध मालनीय न्यायालय में पंजीकृत रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, तैय्य उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कद दायर किया जाता है तथा दायर कद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित लेखा को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं का सांख्यिक प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ऑनलाइन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् कार्गो की काउन्सिलिंग और डीटेल नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अक्षरानुसार नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रवास मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वतावरण उपलब्ध कराने के साथ रोजगार रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को कक्षाएं जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना, विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर का परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या 2000 से अधिक हो तो परिषद के मांगानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

दिनांक: 12-09-2023

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SMT.OMWATI DEVI COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव



Smt. Omwati Devi College of Pharmacy,
Koyal Rajpur, Mathura

[illegible]

Smt. Omwati Devi College of Pharmacy
Koyal Pawa, Mithun

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

Keywords: *workplace spirituality, organizational commitment, organizational trust, organizational identification, organizational citizenship behaviors*

[illegible]

Smt. Omwari Devi College of Pharmacy
Koyal, Rajn, Madhya

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भुवनेश कुमार सोनी
Bhuvnesh Kumar Soni
जन्म तिथि/DOB: 03/03/1982
पुलक: MALE

4142 5800 7813
VID : 9193 2686 7349 1395

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
डॉ. जयसिंह वर्मा, दयानंद सरस्वती, शिशु मंदिर राय,
मथुरा, नगल, मथुरा,
उत्तर प्रदेश - 281204

Address:
D.D. Jaisingh Verma, dayanand saraswati,
shishu mandir raya, mathura, Nagal,
Mathura,
Uttar Pradesh - 281204

4142 5800 7813
VID : 9193 2686 7349 1395

1800 1200 1200 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

भुवनेश कुमार सोनी
JAI SINGH VERMA

03/03/1982
Taxpayers Account Number

UJZPS2974A

Signature

Principal
Smt. Omwati Devi College of Pharmacy
Koyal, Raya Mathura